



2026:AHC:6613

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19339 वर्ष 2025

विंध्यवासिनी प्रसाद तिवारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्रीमती चंद्रा कला चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मनीषा चतुर्वेदी और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. यहां रिट याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में सबसे पहले रिट-ए संख्या 3580 वर्ष 2024, इंद्रमोहन चौबे और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दायर किया जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

"A. याचिकाकर्ता गणों ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"I. उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियम, 1974 और 14.10.2020 और 19.07.2023 के शासकीय आदेशों के आलोक में याचिकाकर्ता गणों को निर्धारित अवधि के भीतर वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देकर जिला मिर्जापुर में संग्रह अमीन के पद से याचिकाकर्ता गणों को पदोन्नति देने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 2) है।

II. उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियम, 1974 और 14.10.2020 और 19.07.2023 के शासकीय आदेशों के संदर्भ में दिनांक 06.11.2023 (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 5) के संदर्भ में याचिकाकर्ता गणों को उनके आवेदन/प्रत्यावेदन का निर्णय लेने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

B. याचिकाकर्ता गणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में, याचिकाकर्ता गणों ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न प्रत्यावेदन दिए हैं जो अभी भी विचार के लिए लंबित हैं लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

C. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

D. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान याचिका का निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तीन सप्ताह के भीतर नए सिरे से प्रत्यावेदन भेजने का निर्देश दिया गया है।

यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त अवधि के भीतर नया प्रत्यावेदन दायर करेगा, तो प्रतिवादी संख्या 2 विधि के अनुसार सख्ती से छह सप्ताह के भीतर और अधिमानतः उस पर उचित आदेश पारित करेगा।

E. चूंकि रिट याचिका पर प्रतिवादी गणों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना एकपक्षीय संस्करण पर निर्णय लिया गया है, इसलिए आज के आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में चला गया है और प्रतिवादी संख्या 2 विधि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुसार सख्ती से स्वतंत्र विचार करेगा और क्षेत्र को धारण करने वाले विधि के जनादेश के अनुसार।"

3. इसके बाद, चूंकि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई। तत्पश्चात 18.06.2025 को, इसी तरह के व्यक्ति में से एक, जिसने रिट-ए संख्या 3580 वर्ष 2024 दायर की थी, को संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति दी गई और उसमें रिट याचिकाकर्ता के संबंध में 25.06.2025 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया था कि रिट याचिकाकर्ता का नाम उस स्थिति में जगह नहीं पाता है जिससे उसे पदोन्नति दी जा सके, विशेष रूप से जब रिक्तियां रिक्त नहीं हैं। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि पदाधिकारियों में से एक श्री कल्प नाथ पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए एक रिक्ति उत्पन्न हो गई है, जिसके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता को सीट आवंटित की जा सकती है।

4. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना प्रतिवादी गणों को रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश देने के लिए है।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रथम चरण में निर्णय लेने की आवश्यकता है।

6. न्यायालय में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन को प्रस्तुत करने के दिनांक से ही वरीयता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो माह के भीतर विधि के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।